

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 25, सोमवार, शाके 1948- जून 15, 2026 Jyaistha 25, Monday, Saka 1948- June 15, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 03, 2026

प्रपत्र-7

(धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

अनुपूरक प्रारम्भिक अधिसूचना

(नियम 16 का उपनियम (1) देखें)

RAJKAJ REF 22599062 :-राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना संख्या 5122145 दिनांक 19.12.2023, जो कि भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) तथा राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नियम-16(1) के प्रावधानानुसार लोक प्रयोजनार्थ ग्राम भदोरा में बाईपास सड़क के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/विकसित किये जाने हेतु जिला-नागौर, तहसील-मूण्डवा के ग्राम भदोरा में कुल 6.47 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित अधिसूचना में परियोजना ग्राम भदोरा के खसरा संख्या 927/663 एवं 522 का मौका-स्थिति एवं नक्शानुसार जाँच करने पर पाया गया है कि उक्त दोनों खसरों में कुल 0.5153 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के अर्जन करने की आवश्यकता है। अतः उक्त खसरों की प्रभावित अतिरिक्त भूमि को सम्मिलित कर धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करने हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है।

अतः एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त भदोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु दिनांक 19.12.2023 को प्रकाशित धारा-11 (प्रारम्भिक अधिसूचना) के परिप्रेक्ष में मानक माप एवं संशोधित भूमि अवाप्ति योजना के अनुसार जिला-नागौर, तहसील-मूण्डवा के राजस्व ग्राम भदोरा के खसरा संख्या 927/663 एवं 522 में कुल 0.5153 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अर्जन हेतु अधिसूचित की जाती है।

प्रस्तावित परियोजना से भदोरा राजस्व ग्राम की प्रभावित अतिरिक्त भूमि का विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित हैं तथा परियोजना से सम्बन्धित जानकारी, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति कार्य दिवसों में कार्यालय भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, मूण्डवा से प्राप्त कर सकता है।

अनुसूची

राजस्व ग्राम: भदोरा

तहसील: मूण्डवा

जिला: नागौर

क्र. सं.	खसरा नं. म्बर	भूमि का प्रकार	भूमि की किस्म	कुल रकबा (हे)	प्रभावि तरकबा (हे)	हितबद्ध व्यक्ति या कानामवपता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	927/663	निजी	बारा नी 2	1.2141	0.2102	1.) अम्बुडी पुत्री मुन्नाखां हिस्सा-1/7 जाति-तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोड नागौर 2.) उच्छब पुत्री मुन्नाखां हिस्सा-1/7 जाति-तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोड नागौर 3.) बाबु खां पुत्र मुन्नाखां हिस्सा-1/7 जाति-तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोड नागौर 4.) बाया बानो पुत्री मुन्नाखां हिस्सा-1/7 जाति-तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोड नागौर 5.) भंवरी पत्नि मुन्नाखां हिस्सा-1/7 जाति-तेली सा.	959	663	662	963			-	-

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-जायल को, अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेने व स्वयं मय अधीनस्थ स्टाफ के अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, तलमापन/अन्य कोई माप करने, अवमृदा के भीतर खोदने/भेदन करने तथा वे समस्त कार्य हो धारा-12 में वर्णित हैं, को करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा-11(4) अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ना ही किसी से करवाएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर भी, अर्थात् क्रय/विक्रय, रहन, स्वरूप/शीर्षक/भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्य, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी मूण्डवा की बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा।

अधिनियम की धारा-15 के तहत यथा बंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार (खातेदार) को भूमि-अर्जन से सम्बन्धी कोई आपत्ति/आक्षेप यदि कोई हो, तो भूमि-अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी मूण्डवा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

पंकज आर्य,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।